राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1815 दिनांक 24.7.17

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 91/2017 अनवान धुड़ाराम बनाम पुरखाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 10.07.2017 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर चौहटन** **मुकाम** **चौहटन**

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.धूड़ाराम पुत्र पुराराम, जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पुरखाराम पुत्र पूराराम 2.प्रहलादराम पुत्र दमाराम जाति जाट,
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन।
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री ठाकराराम**
प्रतिवादीगण वकील –

वाद बाबत 88,53 RT Act.
मुकदमा नं. 91/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री ठाकराराम** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** ....एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम पोशाल, तहसील तहसील चौहटन में खसरा नं. 482/29 रकबा 66.10 बीघा, खसरा सं. 19 रकबा 75.00 बीघा एवं मौजा उदसियार के खसरा सं. 164/46 रकबा 42.00 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर.. .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदीं सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10/7/17........ को जारी की गई।

दस्तखत..................
सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन
ओहदा ....

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	धुड़ाराम पुत्र पूराराम, कौम जाट, सा. पोशाल खातेदार	पोशाल उदसियार	482/29 164/46	40.19 21.00	बा.दो. बा.सो.	2.05 0.63	आसमानी
2	पुरखाराम पुत्र पूराराम, कौम जाट, सा. पोशाल	पोशाल	482/29 19	03.08 37.10	बा.दो. बा.दो.	0.17 1.88	लाल
3	मगाराम पुत्र पुरखाराम, कौम जाट, सा. उदसियार खातेदार	उदसियार	164/46	21.00	बा.सो.	0.63	काला
4	प्रहलादराम पुत्र दमाराम, कौम जाट, सा.पोशाल खातेदार	पोशाल	482/29 19	22.03 37.10	बा.दो. बा.दो.	1.11 1.87	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 91/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादी – 1.धूड़ाराम पुत्र पुराराम, जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पुरखाराम पुत्र पूराराम 2.प्रहलादराम पुत्र दमाराम जाति जाट,
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन।
3.तहसीलदार चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,53 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 10.07.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प बीजराड़ में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जो पत्रावली शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। न्यायहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अतः तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम **पोशाल, तहसील तहसील चौहटन में खसरा नं. 482/29 रकबा 66.10 बीघा, खसरा सं. 19 रकबा 75.00 बीघा एवं मौजा उदसियार के खसरा सं. 164/46 रकबा 42. 00 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	धुड़ाराम पुत्र पूराराम, कौम जाट, सा. पोशाल खातेदार	पोशाल उदसियार	482/29 164/46	40.19 21.00	बा.दो. बा.सो.	2.05 0.63	आसमानी
2	पुरखाराम पुत्र पूराराम, कौम जाट, सा. पोशाल	पोशाल	482/29 19	03.08 37.10	बा.दो. बा.दो.	0.17 1.88	लाल
3	मगाराम पुत्र पुरखाराम, कौम जाट, सा. उदसियार खातेदार	उदसियार	164/46	21.00	बा.सो.	0.63	काला
4	प्रहलादराम पुत्र दमाराम, कौम जाट, सा.पोशाल खातेदार	पोशाल	482/29 19	22.03 37.10	बा.दो. बा.दो.	1.11 1.87	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बीजराड़ मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दिनांक- 09-07-2017

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर के राजस्व वाद सं. 91/2017 अनवान धूड़ाराम बनाम पुरखाराम वगैरा मे विभाजन प्रस्ताव बाबत श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के आदेश क्रमांक/रीडर 2017/1498 दिनांक 3-07-2017 व श्रीमान तहसीलदार साहब चौह0 के आदेश क्रमांक/भूअ 2017/1489 दिनांक 07-07-2017 की पालना मे विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत मौके पर पहुंचा व वादी, प्रतिवादी के रूबरू मौका कब्जा व काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

रेकर्ड अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है-

क्र.स.	नामग्राम	खाता नं.	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	नाम खातेदार	विवरण
1	पोसाल (बीजराड़)	56	482/29	66-10	बाड़ी	3.33	पुरखा धूड़ा पि. हरा 1/2 हि. पेमाराम पुत्र उमा प्रहलादराम पुत्र डमाराम 1/2 हि. कौम जाट सा. पोसाल खातेदार	
2	—"—	57	19	75-00	बाड़ी	3.75	पुरखा धूड़ा पि. हरा 1/2 हि. पेमाराम पुत्र उमा प्रहलादराम पुत्र डमाराम 1/2 हि. कौम जाट सा. डेहरू खातेदार	
3	उड़ासियार (शोभाला...)	77	164/46	42.00	बारानी	1.26	धूड़ाराम पुत्र हराराम मगाराम पुत्र पुरखाराम कौम जाट सा. बीजराड़ खातेदार	इन्तकाल नं. 8.192/17

मौके पर स्थित ढाणीयां, टोबे व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	रंग	नामग्राम
1	धूड़ाराम पुत्र हराराम कौम जाट सा. पोसाल खातेदार	482/29	40-19	बाड़ी	2-05	आसमानी	पोसाल (बीजराड़)
		164/46	21-00	बारानी	0.63	—"—	उड़ासिया (शोभाला...)
2	पुरखाराम पुत्र हराराम कौम जाट सा. पोसाल	482/29	3-08	बाड़ी	0-17	लाल	पोसाल (बीजराड़)
		19	37-10	—"—	1-88	—"—	—"—
3	मगाराम पुत्र पुरखाराम कौम जाट सा. उड़ासिया खातेदार	164/46	21-00	बारानी	0.63	काला	उड़ासिया (शोभाला...)
4	प्रहलादराम पुत्र डमाराम कौम जाट सा. पोसाल खातेदार	482/29	22-03	बाड़ी	1-11	हरा	पोसाल (बीजराड़)
		19	37-10	बाड़ी	1.87	—	—

वादीव प्रतिवादी सं. 02 के व प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र मुसाईराम के रूबरू मौके पर कब्जा काश्त, ढाणी, टोबा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

पर्चा मौका मौके पर बनाई जाकर पढ़कर सुनाई गई।

Ex Court

ओमाराम/कुमाराड़ियाल

डेगाराम/अर्जुनराम जाट

नीम्बसिंह (नीम्बसिंह/सोनसिंह) राजपूत

जोगाराम (जोगाराम/हरिराम) जाट

ह.नि. धूड़ाराम/हराराम जाट (वादी)

पटवारी बीजराड़

ILR बीजराड़ 9/7/17

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

उत्तर

नक्शा ट्रेस

मौजा पोशाल

तहसील चौहटन

पैमाना 1 इंच = 40 गज

(1) ... पुत्र ...

खसरा रकबा किस्म ...

484/29 4078 बारानी

(2) ... पुत्र ...

खसरा रकबा किस्म ...

19 3710 बारानी

484/29 3-08

2 4078 बारानी

(3) ... पुत्र ...

खसरा रकबा किस्म लगान

19 3710 बारानी

484/29 2203

2 5913 बारानी

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

10/7/17

EXCOURT

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

आरिकिश्तवार नक्शा
गाव - उदसियार
तहसील - चौहटन
पैमाना - एक इंच = 40 कदम

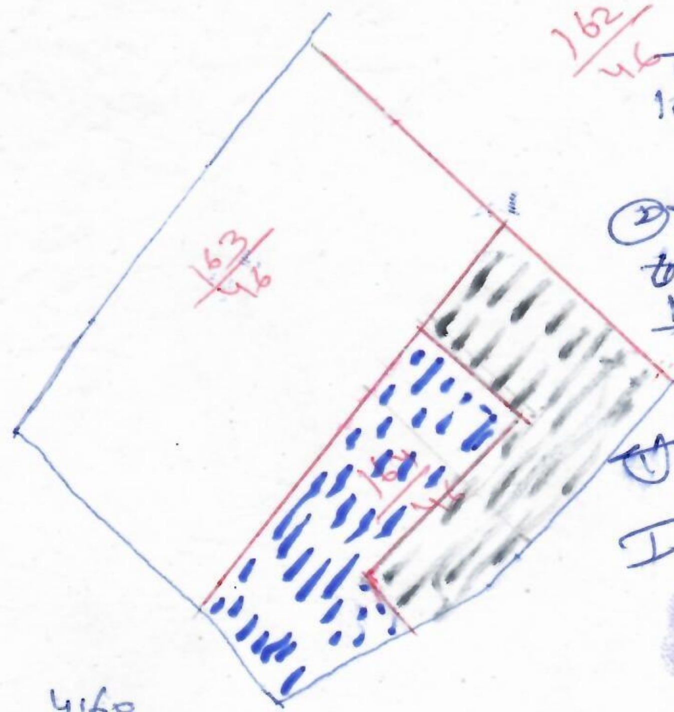

1 धूडाराम S/o ...
कृषि भाग
खसरा रकबा लगान
164/46 21.00 0.63
करेगा काला

2 मगाराम / ...
खसरा रकबा लगान
164/46 21.00 0.63
करेगा काला

... IAS ...

4160
P35 क्रमांक 28/1/17 .....पर
कर वास्ते सबूत जारी की गई ।
सत्यापित प्रतिलिपि

पटवारी शौभाला जैत

(डेगाराम / ...)

भीमसिंह
(भीमसिंह / ... सिंह)

भोजाराम
(जोगाराम / ...)

(धूडाराम / ...)

सहायक कलेक्टर
\ (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन